राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग

क्रमांकः– एस्टे/डीईएस/विविध/52/2017/I/68067 जयपुर, दिनांकः– 28.04.2017

परिपत्र

विभाग की जानकारी में आया है कि जिला एवं ब्लॉक स्तर के विभागीय एवं उपखण्ड अधिकारियों द्वारा ई–ग्राम परियोजना के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के द्वारा रखे गये मेन विथ मशीन को कार्यानुभव एवं कार्य संतोषप्रद होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये गये है। जिसके आधार पर मेन विथ मशीन द्वारा न्यायालय में वाद दायर किये गये है। उक्त अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र गैर कानूनी है। इन अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में नियमित अधिकारियो/कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों यथा – ईटर्न्स, सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से रखे गये व्यक्तियों आदि को किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नही किया जावें। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, मुख्यलाय।
4. उप/सहायक निदेशक, समस्त जिलें।
5. समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)